Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.shisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2024 SHISRRJ | Volume 7 | Issue 1
ISSN : 2581-6306
doi : https://doi.org/10.32628/SHISRRJ

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रस्थिति गतिशीलता

डा0 शाहेदा सिद्दीकी
प्राध्यापक,समाजशास्त्र,, शा0 ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

Article Info

Publication Issue :
January-February-2024
Volume 7, Issue 1

Page Number : 73-79

Article History
Received : 01 Feb 2024
Published : 15 Feb 2024

सारांश– किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति में कोई भी सार्थक बात कहने से पूर्व हमें उस समाज की संरचना के विषय में जानना आवश्यक होता है। महिलाओं की उपस्थिति में महत्वपूर्ण तरीके से परिवर्तन तभी संभव है जबकि सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो और समाज का आधारभूत संरचनात्मक विभागों में अभिव्यक्ति किया जाय। यही नहीं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी यह मांग करता है, कि महिलाओं की स्थिति पर केवल सैद्धान्तिक रूप से ध्यान न देकर वरन वास्तव में उनकी उपस्थिति गतिशीलता पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन परम्परावादियों व आधुनितावादी ने बहुत उलझनों को जन्म दिया है। जब हम परम्परावादी व आधुनिक समय की महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो वर्तमान को हम अतीत से कम संतोषजनक मानते हैं।

मुख्य शब्द– आधारभूत संरचना, गतिशीलता, अभिव्यक्ति, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत में महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गयें। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष उपरान्त भी महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पुरूषों की तुलना में बहुत कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए और कई योजनाएं बनाई गई, परन्तु कल्याणकारी योजनाओं का वांछित प्रभाव भारतीय महिलाओं पर समान रूप से नहीं पड़ा। तथा उन सबका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुँच पाया। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सामान्य स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा महिलाएं हिंसा और अत्याचारों का शिकार भी बनती रही है।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका का अर्थ निर्वाचन में मतदाता एवं प्रत्याशी के रूप में सहभागिता से लेकर सत्ता में महिलाओं की भागीदारी से है। मताधिकार की प्रक्रिया से निर्णय–निर्माण में अहम भूमिका निभाती है, यही राजनीतिक सहभागिता है। किन्तु वर्तमान में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)** which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial use provided the original author and source are credited.

कारण राजनीतिक सहभागिता मान मतदान एवं राजनीतिक सक्रियता तक सीमित नही हैं, बल्कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी से भी जुड़ गयी है। सत्ता में भागीदारी होने का अर्थ है कि शक्ति प्राप्त करना और वैध सत्ता ही वह प्रमुख प्रक्रिया है जो समाज की अन्य उपव्यस्थाओं एवं संरचनाओं को निर्देशित संचालित एवं प्रभावित करती है। इसलिए राजनीति में महिलाओं की भूमिका एक महत्वपूर्ण मांग बन गई है।[1]

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी अपनी सभ्यता व संस्कृति है, जिस पर वह गर्व करता है। भारत एक विशाल व विकासशील देश है। इसकी कला, साहित्य दर्शन इसको मानव के अध्यात्म जीवन से जोड़ते हैं, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलाओं के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पुरूष प्रधान समाज कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि महिलाओं को उसका हक मिले, जिसने उसके जीवन में अतुलनीय योगदान दिया है। वैदिक काल में शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग की बालिकाओं व राजकुमारियों को ही दी जाती थी जो अपवाद स्वरूप है। बौद्ध काल में भी महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम सुल्तानों ने शासन किया, उस समय शिक्षा को ही एक सामाजिक कर्तव्य नहीं माना गया था महिला शिक्षा तो दूर की बात की। ब्रिटिश काल में शिक्षा को अवश्य बढ़ावा मिला, लेकिन नगन्य रही पुरूष प्रभुता समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोंण विकसित हुआ, उसके अन्तर्गत काम चलाने लायक अल्प शिक्षा व घर गृहस्थी की देखभाल तक उसकी सीमाएँ निर्धारित की गई थी।

वैदिक कालीन महिलाओं की प्रास्थिति– वैदिक समाज भारतीय इतिहास का सर्वाधिक आदर्श समाज रहा है। वस्तुतः वेद भारतीय संस्कृति के प्राण है। इस युग में महिलाओं ने अपने समस्त अधिकारों का पूर्णता के साथ उपयोग किया था। वैदिक युग में नारी को पुरूषों के समकक्ष अधिकार प्राप्त था। अथर्ववेद में कहा गया है कि ''नववधु तु जिस घर में जा रही है वहाँ की तु साम्राज्ञी है तेरे ससुर, सास, देवर और अन्य सभी तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित रहे।'' नारी को शिक्षा, धर्म, राजनीति और सम्पत्ति में पुरूष के समान अधिकार थे। ऐसा लगता है कि वैदिक काल में नारी कुछ हद तक समाज के आर्थिक विकास में योगदान देती थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति अन्य कालों के अपेक्षा सम्मानजनक थी। इस युग में पति की पूर्णता पत्नी के आस्तित्व में ही निहित मानी जाती थी पत्नी रूप में महिला निश्चय ही पति की अर्ध्दांगिनी होती थी। तथापि वेद युग में पत्नी को मित्र का रूप प्राप्त था।

उत्तर वैदिक कालीन महिलाओं की प्रास्थिति– उत्तर वैदिक काल को सामान्यतः ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में स्त्री

पुरूष के समान अधिकार रखती थी। भीष्म पितामह का यह कथन है कि स्त्री को सदैव पूज्य मानकर स्नेह का व्यवहार करना चाहिए।

सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी का युग मध्य युग के रूप में जाना जाता है। इसका आरंभ ही मातृसत्ता की समाप्ति और नारी की पराधीनता के आधारभूत विधान से होता है। जिसमें नारी को वर्ण व्यवस्था के निम्न तक वर्ण शुद्र के साथ ही पाप योनि वाले वर्ण में रखा गया है। इस काल में महिलाओं की स्थिति में जितना ह्रास हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है।[2] इस काल कि आते–आते नारी बाल्यकाल में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में रहने की आदि बन चुकी थी। उसे अधिकारों से वंचित कर दिया गया और वह परिवार की एक आवश्यकता मात्र बनकर रह गई थी। हालांकि बौद्ध धर्म के उदय से उसकी स्थिति में सुधार हुआ भी, परन्तु मुगल काल में नारी की दशा और भी दण्डनीय हो गई। पर्दा प्रथा ने नारी के घर की चार दीवारी की कैद में रहने के लिए मजबूर कर दिया। समाज में बाल–विवाह का प्रचलन बढ़ गया तथा शिक्षा के द्वारा उसके लिए लगभग बंद कर दिये गये। सती प्रथा अपने शिखर पर पहुंच गई और उसकी आवाज चिंता के चारों ओर बजते ढोल नगाड़ों में दब कर रह गई।[3] वस्तुतः मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतन्त्रता सब प्रकार से छीन ली गई तथा उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरूषों के अधीन कर दिया गया था। वर्ष 1940 तक स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए हिन्दु धर्म, जाति, व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद उत्तरदायी है। वस्तुतः इस काल में स्त्रियों की विभिन्न क्षेत्रों में निर्योग्यताएँ बनी रही। भारतीयों द्वारा समय–समय पर समाज सुधार के विशेष प्रयास किये गये, किन्तु अंग्रेजों का समाज सुधार में सहयोग नहीं मिला। महिलाओं को शोषित तथा पीड़ित रखना ही उनके हित में था। अतः इस समग्र (सम्पूर्ण) पृष्ठभूमि में भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता समझी गई।[4]

किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण एवं विकास में महिला एवं पुरूष दोनों ही परस्पर सहभागिता एवं साझेदारी अत्यन्त आवश्यक है। यह बात नैसर्गिक सिद्धान्त और पर्यावरणीय सन्तुलन की दृष्टि से भी नितान्त आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी है। वैसे भी मानव समाज के सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भागीदारी और योगदान कभी भी कम नहीं रहा है, परन्तु यह एक विडम्बना ही रही है कि समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा शायद ही कभी मिला हो। हमारे देश की कुल आबादी का 50 प्रतिशत भाग महिलाओं का है फिर भी उन्हें समाज में वह दर्जा प्राप्त नहीं है जो पुरूषों को है। यह विडम्बना केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों की है। राजनीतिक चेतना के विकास की यात्रा महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और सक्रियता की गति के साथ समान्तर रूप से जुड़ी हुई

है। महिलाओं का राजनीतिक मुद्दों और गतिविधियों के प्रति जागरूकता का बढ़ाना उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता को विभिन्न संगठनों निकायों और इकाइयों के माध्यम से सामाजिक पटल पर उजागर करना एवं समस्याओं के निराकरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से आगे आना है। भारत में राजनीतिक चेतना और सामाजिक पुनर्जागरण का विकास साथ–साथ हुआ है।

भारतीय नारी जो सदियों से पुरूष प्रधान समाज की ही हुई व्यवस्थाओं और पैतनोन्मुख समाज की स्थितियों में रहने के कारण पिछले वर्गों में गिनी जाती थी, प्रायः प्रत्येक सुधार आन्दोलन का आधार बनी, उसे विदेशी दासता, पुरुष समाज की दास्ता एवं सामाजिक रूढ़ियों के साथ तीन–तीन मोर्चों पर लड़ना पड़ा। इसलिए उसके मुक्ति संघर्ष को सामाजिक व राजनीतिक स्तरों पर अलग–अलग करके नहीं एक साथ ही देखना होगा।[5]

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता– समानता के सन्दर्भ में अधिकारों की विवेचना विसेषतः लिंग भेद में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संभवतः लिंग भेद मानव सभ्यता का विश्वव्यापी एवं परम्परागत हिस्सा रहा है। लिंग भेद से स्थायी विषमतायें, असंतोष तथा मानवता की हानि जैसी परिस्थितियाँ सामने आयी हैं। दासता एवं स्त्रियों की पुरुषों से असमानता को जब अरस्तु तर्क संगत आधार प्रदान कर इस प्राकृतिक निशक्तता को छूट की दुहाई देता है, तब व्यक्ति की श्रेष्ठता का दार्शनिक आधार खिसकता प्रतीत होता है। अरस्तु का दार्शनिक विचार भेदभाव की इस धारणा पर आधारित था कि पुरुष स्त्रियों से एवं युनानी गैर युनानियों से श्रेष्ठ है।

स्वाधीनता के पश्चात महिला कल्याण व सशक्तीकरण को राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक पोषण मिला। महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा महिलाओं को विकसित समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये विधायी, उपाय कल्याणकारी योजनायें तथा विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया। महिलाओं को अपने अधिकार तथा दायित्वों के प्रति सजग करने के लिये शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराये गये। जिससे महिलाओं में स्वावलंबन और आत्म निर्भरता की भावना जाग्रत हो सकी।

इसी के साथ पंचायती राजव्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक न्याय, सामाजिक सदभाव एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामन्तशाही एवं दबंग लोगों का वर्चस्व है, धर्म एवं जाति के आधार पर समाज बेटा है, कमजोर वर्गों का शोषण जारी है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है तथा राजनीति में भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण प्रवेश कर चुका है।

राजनीतिक सहभागिता में मतदान राजनीतिक दलों का समर्थन, विधायकों से सम्पर्क मतदाताओं में राजनीतिक विचारों का प्रचार और अन्य सम्बंधित गतिविधियों सहित ऐसी स्वौच्छिक गतिविधियाँ भी शामिल

है जो राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। ऐसी किसी भी प्रकार की संगठित गतिविधि में शामिल होने को राजनीतिक सहभागिता माना जा सकता है। जो इन सत्ता सम्बन्धों को प्रभावित करती है या प्रभावित करने का प्रयास करती है मोटे तौर पर इससे उन लोगों की गतिविधियों का भी बोध होता है। जिन्हें निर्णय लेने की औपचारिक शक्ति प्राप्त नहीं है। महिलाओं की सहभागिता में विभिन्न मुद्दों पर आन्दोलन विरोध प्रदर्शन और समर्थन के लिए बैठकें और शांति को बढ़ावा देने के आन्दोलन भी शामिल है राजनीतिक सहभागिता मानव समाज के सदस्यों के जीवन को भी पुनः संगठित करना चाहती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाओं की सहभागिता को गैर राजनीतिक कहकर उसका महत्व कम ना किया जाऐं।[6]

निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण– राजनीतिक सहभागिता से सम्बद्ध तथ्यों का विवेचन इस प्रकार है, सर्वप्रथम महिला उत्तरदात्रियों से पंचायत व्यवस्था में महिला आरक्षण संबंधी प्रावधानों के प्रति संज्ञानता संबंधी जानकारी हासिल की गयी और प्राप्त तथ्यों के आधार पर देखने को मिलता है कि 54 प्रतिशत महिलाओं को इसकी जानकारी है जबकि 26 प्रतिशत को जानकारी है तथा 20 प्रतिशत ने तटस्थ रूख अपनाया है।

महिला आरक्षण का महिलाओं की प्रस्थिति के सन्दर्भ में भूमिका के उद्देश्य से तथ्यों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि बहुसंख्यक महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरक्षण ने महिला प्रस्थिति के सन्दर्भ में सार्थक भूमिका निभायी है। इसके माध्यम से महिलाओं का राजनीति में आना सुगम हुआ है।

भारतीय संविधान में निर्मित एवं उल्लेखित महिलाओं के प्रदत्त अधिकारों के प्रति संज्ञानता का जहाँ तक संबंध है, इस सन्दर्भ में 37 प्रतिशत ने व्यक्त किया कि प्रदत्त संवैधानिक अधिकार की जानकारी है जबकि 42 प्रतिशत उत्तरदात्रियों में अज्ञानता पाई गई।

स्त्री–पुरुष समानता के सन्दर्भ में 49ण्2 प्रतिशत यह बताती है कि वैचारिक स्वर समानता की बात की जाती है लेकिन 38.80 प्रतिशत असमानता के प्रति अपने विचार प्रकट की है। जबकि 12 प्रतिशत व्यवहारिक स्तर पर समानता को स्वीकार करती है। इस तथ्य से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय ग्रामीण समाज में लैंगिक असमानता आज भी विद्यमान है। यही कारण है कि अध्ययन के दौरान 63.60 प्रतिशत महिलायें बच्चों में लिंग–विभेद के यथार्थ को स्वीकार किया है।

पुरुषों के समान महिलाओं का राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता के संदर्भ में उत्तरदात्रियों के अभिमतों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 59 प्रतिशत महिलायें पुरुषों के समतुल्य सहभागिता होने को आवश्यक मानती है अतः राजनीति में साहचर्य सहभागिता की तीव्रता राजनीतिक प्रस्थिति के लिये अपरिहार्य

है। राजनीतिक सहभागिता के परिणाणस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के संबंध में 43.20 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सहभागिता से महिलाओं में आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी, 24:40 प्रतिशत ने सामाजिक दायरा के विस्तार तथा 22 प्रतिशत ने सम्मान में वृद्धि होगी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक सहभागिता से महिलाओं में आत्मविश्वास, सम्मान तथा सामाजिक दायरे में परिचयात्मक वृद्धि से उनकी प्रस्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।

इस तथ्य की सार्थकता का परीक्षण करने पर पाया गया कि सह□गिता की प्रकृति और महिला प्रास्थिति के बीच सार्थक सम्बन्ध है। अतः सहभागिता की सक्रियता किसी न किसी रूप में महिला प्रास्थिति में परिवर्तन के लिये एक सकारात्मक पहलू है। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक में सक्रिय सहभागिता करने से प्रास्थिति में बदलाव आना स्वाभाविक प्रतिफल है। यह निष्कर्ष हमारी उपकल्पना को सिद्ध करता है।

राजनीतिक सहभागिता की प्रकृति और महिला सशक्तीकरण पर प्रभाव से सम्बन्धित तथ्यों की गणना के आधार पर दृष्टिगोचर होता है कि पूर्णतः सहभागिता का सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव का 74.2 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया, जबकि आंशिक सहभागिता के नकारात्मक प्रभाव को 53.8 प्रतिशत ने स्वीकार किया है। तुलनात्मक परीक्षण (कोई वर्ग परीक्षण) के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि राजनीतिक सहभागिता चाहे वह पूर्णतः हो या आंशिक दोनों स्तर की सक्रिय भागेदारी महिला को सशक्त बनाने में अह्म भूमिका अदा करती है जिसका प्रमाण हाल ही के पंचायत चुनाव में महिला प्रतिनिधियों की साधन के रूप में राजनीति में सहभागिता को स्वीकार किया है। यह निष्कर्ष हमारी उपकल्पना शक्ति संरचनाओं में महिलाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, उनका बाह्य जगत से सम्पर्क बढ़ेगा और स्वयं में उतना ही सशक्त होगी को सत्यापित करता है। मताधिकार के समय वोट व्यवहार से सम्बद्ध प्राप्त तथ्यों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलों में क्रमशः एक बदलाव की प्रक्रिया आ रही है जिसमें महिलायें वोट देने में अपने विवेक का प्रयोग कर रही है लेकिन अभी इसकी गति धीमी है।

अतः स्पष्ट है कि महिलाओं को राजनीतिक जीवन का पूर्णतः ज्ञान और अनुभव तब ही होगा जब उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जायेगा। क्योंकि जब भी उन्हें अवसर दिया गया है तब उन्होंने अवसर मिलने पर अपनी दक्षता का परिचय दिया है और समाज में अपनी भूमिका का पूर्ण दृढ़ता के साथ निर्वाह किया है। लेकिन भारतीय समाज ने ही महिलाओं के हितों को अनदेखा किया है। जिसके कारण से आज भी कई समस्याओं का सामना कर रही है तथा महिलाओं को उनके महिलाओं को यथोचित स्थान दिया जाए। शासन (सरकार) के सभी अंगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएँ क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली

में संसद के द्वारा ही नियम कानून बनाने का अधिकार होता है और वही से न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संसद में महिलाओं का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था और उसमें महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए जरूरी है कि संसद में महिलाओं प्रतिनिधित्व बढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पिछले 70 सालों से अधिक समय तक उनके प्रतिनिधित्व बहुत कम है इसलिए राजनीति में महिलाओं की सक्रियता ही महिला उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ये प्रयास महिला उत्थान के लिए प्रयास मात्र कानून बना देने से ही सफल नहीं हो सकते इन्हें सफल बनाने के लिए गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है अतः महिलाओं को भी स्वयं जागरूक एवं एकजुट होने से अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी। अतः महिलाओं को दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का हल निकालना होगा।

संदर्भ स्रोत

1. गुप्ता नीलम, ''भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं नेतृत्व के आयाम'' पृष्ठ–157
2. अग्रवाल, चन्द्रमोहन (2003) ''भारतीय नारी : विविध आयाम'' इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्री ब्यूटर्स, दिल्ली पृष्ठ संख्या–208
3. लवानिया, एम.एम. (2012) ''भारतीय महिलाओं का समाज शास्त्र'', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ सं0–3
4. सिंह राजवाला, सिंह मधुबाला, ''भारतीय महिलाए'', अविष्कार पब्लिशर्श, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2006 पृ0सं0–1.04
5. लानिया एम0एम0 ''भारतीय महिलाओं' का समाज शास्त्र'', रिसर्च पब्लिकेंशन, जयपुर, 2005 पृष्ठ सं0–143
6. सिंह आनन्द प्रकाश, ''भारत में महिला सशक्तीकरण : नीति एवं नियोजन'' पृष्ठ सं009